कार्यालय महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

प.16 (9)जकके/सिविल/लेबर आपूर्ति कार्य/2024–25/ 4011 दिनांक:– 12/08/24

कोटेशन सूचना संख्या ..../2024–25

कार्य का नाम:– जवाहर कला केन्द्र में लेबर आपूर्ति का कार्य।

- निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम दिनांक 14-08-24 प्रातः 11.00 बजे तक
- निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 14-08-24 दोपहर 2.00 बजे तक
- दर निविदा खोलने की दिनांक 14-08-24 दोपहर 3.00 बजे तक
- निविदा की अनुमानित लागत रूपये 95,000/–
- बिड सिक्योरिटी राशि रूपये 1,900/–

  (अतिरिक्त महानिदेषक, जवाहर कला केन्द्र के नाम डीडी)
- कार्य पूर्ण करने की अवधि : 1 वर्ष

निविदा शुल्क रूपये 200/–

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा0)

D:\e drive abhishek\abhishek file\2024-25\Arjun Ji\Nivida Ki Sharte -(removing & repair).doc 206

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत विवरण

कार्य का नामः– जवाहर कला केन्द्र में लेबर आपूर्ति का कार्य।

की पृष्ठ संख्या

1 फर्म/संस्था का नाम/पता ....

2 संपर्क हेतु डाक का पूरा पता ....

3 कार्यालय.............................. दूरभाष..............................मो..............................फैक्स ....

4 फर्म मालीकाना है या साझेदारी अथवा रजिस्टर्ड संस्था (रजिस्टर्ड सिविल कार्य का प्रमाण पत्र कार्य हेतु संलग्न करें।) ....

5 फर्म के मालिक/साझेदारों का नाम व पूरा पता ....

6 रजिस्ट्रार ऑफ कामर्स के द्वारा जारी रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक ....

7 (क) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वालें व्यक्ति का नाम व पता ....

(ख) किस हैसियत (यथा मालिक/अधिकृत ठेकेदार/मैनेजर/सचिव) से हस्ताक्षर किए है ....

(ग) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किये हैं– हॉ/नहीं

8 एक राजकीय विभाग/उपक्रमों व एक प्रतिष्ठित निजी संस्थान में उक्त कार्य के संबंधित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें । (अनुभव होना आवश्यक) ....

9 अमानत राशि (संलग्न) का विवरण बैंकर चैक संख्या दिनांक व राशि ....

10 पेन नम्बर अंकित करें (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें) ....

11. GST रजि. नम्बर (प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें) ....

12. फर्म का बैंक खाता सख्यां एवं IFS Code No. ....

उपरोक्त जानकारियां सही व तथ्यों पर आधारित हैं। यदि अनुबन्ध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियां प्रमाणित हो तो अनुबन्ध निरस्त करने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

निविदा एवं संविदा की शर्ते

कार्य का नामः– जवाहर कला केन्द्र में लेबर आपूर्ति का कार्य।

टिप्पणीः– निविदाकार को, निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को ध्यानपूर्वक पढना चाहिये तथा निविदायें भेजते समय पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. जिसके लिए निविदा आंमत्रित की गई है। निविदा शर्तों में शब्द "कार्य" से तात्पर्य जवाहर कला केन्द्र में लेबर आपूर्ति का कार्य।
2. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से भरना होगा।
3. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। दरें शब्दों तथा अंकों में दोनों में आर्नलाईन अपलोड करनी चाहिए।
4. निविदा उक्त कार्य के लिए पर्जीकृत सस्थाओं के लिये राजस्थान सरकार/उपकम में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही दी जानी होगी। इसके लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।
5. निविदायें भरने से पूर्व निविदादाता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उनके पास आवश्यक GST रजिस्ट्रेशन है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. कार्य की दरें केन्द्र परिसर में पूर्ण करने के लिए उद्धत की जानी चाहिये तथा निविदादाता द्वारा दरें समस्त लागू कर सहित दी जावे।
8. निविदायें उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
9. अनुमोदित निविदादाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसनेकार्य से संबंधित स्फेसिफिकेशन, आकार, प्रकार, नक्शा इत्यादि सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इनके बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे केन्द्र अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।आकार, प्रकार, नक्शा इत्यादि सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि इनके बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे केन्द्र अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. निविदाकार अपनी संविदा को या उसके सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप–भाडे पर नहीं देगा।
11. किया गया कार्य अनुमोदित विशिष्ठियों के अनुरूप होना चाहिये। यदि कार्य निर्धारित विशिष्ठियों, माप, नक्शा इत्यादि के अनुरुप नहीं करेगा तो उसी स्थिति में स्वीकार्य किया जायेगा जबकि कार्य न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्ठियों, माप इत्यादि का होगा, साथ ही आनुपातिकरूप से अथवा केन्द्र द्वारा अन्य निर्धारित राशि कम करके भुगतान की जायेगी। न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्ठियों से कम स्तर का कार्य स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे कार्य को परिसर से प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में हटाना होगा। अस्वीकार कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

    अथवा केन्द्र द्वारा अन्य निर्धारित राशि कम करके भुगतान की जायेगी। न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्ठियों से कम स्तर का कार्य स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे कार्य को केन्द्र परिसर से प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में हटाना होगा। अस्वीकार कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. कार्य पूर्ण करने से पूर्व आवश्यक सेम्पल केन्द्र से अनुमोदित कराना होगा। कार्य अनुमोदित सेम्पल के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा। केन्द्र आवश्यक समझेगा तो सेम्पल में आंशिक/लघु परिवर्तन करवायेगा, जिसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

13. कार्य हेतु संविदा को, यदि कार्यप्राधिकृत अधिकारियों की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। यह इस प्रकार निराकृत होने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

14. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

16. निविदादाता को निविदा सूचना में दर्शित राशि/मात्र से अधिक के कार्य करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश मूल रूप से किये गये कार्य की मात्र 50% राशि तक के लिए ही होंगे तथा एक से अधिक आदेश देने की अवधि कार्य पूर्ण करने की दिनांक से एक माह से अधिक के बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता ऐसे कार्य करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी अवशेष कार्य सीमित निविदा द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जायेगी, उसकी निविदादाता से वसूली की जायेगी।

16 यदि क्रेता अधिकारी/प्राधिकृत किसी निविदात्त कार्य या कार्य के अंश की मात्रा कम करवाता है तो इससे उत्पन्न किसी क्षतिपूर्ति को क्लेम मान्य नहीं होगा।

17. सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के 07 (सात) दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र निष्पादति करना होगा तथा जिन कार्यों के लिए निविदायें स्वीकार की गई हैं, उनके मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जायेगी। यह राशि बयाना राशि से कम नहीं होगी तथा इस पर किसी तरह का ब्याज नहीं दिया जायेगा। यह राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। यह राशि कार्य पूर्ण करने कें तीन माह अथवा गारण्टी/वारण्टी समय सीमा जो भी अधिक हो के बाद के कार्य संतुष्टि के पश्चात लौटाई जायेगी। इसके लिए निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया में नहीं हों।

18. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गई या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की सभी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति राशि के प्राप्त समायोजित नहीं किया, जायेगा तथापि यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

19. बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा:–

a) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापिस कर लेता है या उसमें उपन्तरण करता है।
b) जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
c) जब निविदादाता कार्य आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।
d) जब भी निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

20. प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:–
    a) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    b) जब निविदादाता संपूर्ण कार्य संतोषेजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    c) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा।

21. करार पत्र को पूर्ण करने का समस्त व्यय निविदादाता का होगा।

22. सभी कार्य केन्द्र परिसर में पूर्ण करने होंगे। कार्य पूर्ण करने पर अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का खर्चा आदि यदि कोई हो तो केन्द्र द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

23. (1) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए कार्य पूर्ण करने के बाद निविदादाता द्वारा केन्द्र को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर विचार किया जायेगा।

(3) विवादास्पद मदों के संबंध में भुगतान राशि के 10% से 25% तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा

24. बशर्ते निविदा में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा मान्य नहीं होगी।

25. कार्य निर्धारित अवधि में (जो कि कार्यादेश प्राप्ति की तिथि से गणना की जायेगी) पूर्ण करना होगा अन्यथा कार्य में विलम्ब के लिए निम्न प्रकार से परिनिर्धारित क्षति लगाई जायेगी।

(1) क – निश्चित अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
    ख – एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5%
    ग – आधी अवधि से अधिक किन्तु निश्चित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक के लिए 7.5%
    घ – निश्चित अवधि की तीन चौथाई से अधिक विलम्ब के लिए 10%

(2) विलम्ब की अवधि गणना में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी। साथ ही अधिकतम विलम्ब भी निर्धारित अवधि के बराबर से ज्यादा मान्य नहीं होगा, इससे ज्यादा विलम्ब होने पर निविदा रदद की जा सकती है।

(4) यदि निविदादाता द्वारा कार्य किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत समय में पूरा करने के लिए वृद्धि करना चाहता है तो वह कार्य पूरा करने की समय सीमा से पूर्व केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कि कार्यादेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा।

(5) यदि कार्य पूर्ण करने में बाधा निविदादादता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो पूर्ण करने में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सके।

26. किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा की है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक वर्ष से अधिक से कार्य करने का अधिकार केन्द्र के पास आरक्षित रहेगा।

27. अधिकतम आइटमों में न्यूनतम होने वाली फर्म से नेगोसिएशन किया जा सकता है।

28. निविदादाता को यह आश्सस्त करना होगा कि वर्तमान में जो दरें जवाहर कला केन्द को प्रस्तुत की है उससे कम दरें किसी अन्य विभाग में प्रस्तुत नही की गई हैं। यदि कहीं ओर कम दरें प्रस्तुत की गई है तो केन्द्र द्वारा उक्त दरों से ही भुगतान देय होगा।

29. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
    1– यदि भागीदारी फर्म है तो भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति।
    2– यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
    3– एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता।
    4– कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या निविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

31. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार सरकार या ठेकेदार द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

32. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य करने/सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य फर्म से करा सकेगें। इसके साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जावेगी।

33. अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार एक वर्ष वृद्धि की जा सकती है।

34. वित्तीय निविदा में तुलनात्मक कुल न्यूनतम राषि को एल –1 निर्धारित किया जायेगा।

35. RTPP Act – 2012 – RTPP Rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

<u>घोषणा :–</u>

उपयुक्त सभा शर्तें मैने/हमने ध्यान पूर्वक पढ़ ली हैं और मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। जवाहर कला केन्द्र प्रशासन द्वारा किया गया निर्णय मेरे/हमारे लिए सर्वोपरि होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता
दूरभाष सं.

Jawahar Kala Kendra

H-Schedule

कार्य का नाम :– जवाहर कला केन्द्र में लेबर आपूर्ति का कार्य।

S.No	Item	Qty	Rate to be quoted by contractor (per unit) Without GST
1.	मेशन मय औजार	प्रति व्यक्ति दर प्रति दिवस	
2.	मजदूर मय औजार	प्रति व्यक्ति दर प्रति दिवस	
3.	वैल्डर मय औजार (वैल्डिंग)	प्रति व्यक्ति दर प्रति दिवस	
4.	मलबा टैक्टर ट्रोली	प्रति ट्रोली/प्रति चक्कर	
	Total		

Assistant Engineer
Jawahar Kala Kendra
Jaipur

Contractor's signature & full postal address

D/Arjun ji 2024-25 G-Schedule